राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बलदेव बनाम रामूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 868/2017	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 07/05/2026 को पेश हो |	
07/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21/01/2014 पारित करते हुये उभयपक्ष को जवाब पेश होने तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया गया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17/05/2017 पारित करते हुये पूर्व में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 21/01/2014 को ता-फैसला मूल वाद स्थाई कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है एवं दोनों पक्षों की सुनवाई उपरान्त युक्तियुक्त आदेश अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पारित होना अभी शेष है | इसके अतिरिक्त अपील के स्तर पर अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई आधार जाहिर नही किया गया है, जिससे की अपीलाधीन अन्तरिम आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत होता हो | इसके अतिरिक्त अपील के स्तर पर अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ को अपने पक्ष में साबित करने में सफल नही रहे है | अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17/05/2017 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है एवं न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिये जाते है कि वे व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 3 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये शीघ्रता से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण करे | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | निर्णय आज दिनांक 07/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |	